

राजस्थान सरकार
निदेशालय र मेकित बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग


क्रमांक:- एफ 2(3)बा.आ./स.स्थापन-11/म.वि/2010-11/1103 जयपुर, दिनांक:

6.1.16

अधिसूचना

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2010 के नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा श्रीमती मनन चतुर्वेदी पत्नि श्री सुरेन्द्र चतुर्वेदी को अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पद पर मनोनीत किया जाता है। इनका कार्यकाल कार्य ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष के लिये होगा।

आज्ञा से



अतिरिक्त मुख्य सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- एफ 2(3)बा.आ./स.स्थापन-11/म.वि/2010-11/

1104-1224

जयपुर, दिनांक: 6.1.16

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मननीया मुख्यमंत्री महोदया, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मननीया, राज्यमंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमती मनन चतुर्वेदी, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/ संभागीय आयुक्त/ विभागाध्यक्ष/ जिला कलेक्टर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान, जयपुर।
9. उप शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. उप सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
13. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,



अतिरिक्त मुख्य सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर।